संख्या-170/2026/1755/सैंतीस-2-2026/001-1(44)/2017-104808

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-31 जुलाई, 2026

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-89/प0-1/9ख/1/भेड़ प्रजनन की सुविधा/बजट/2026-27, दिनांक-01.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-104-भेड़ तथा ऊन विकास-03-भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-125.00 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
02-मजदूरी	10.00
29-अनुरक्षण	40.00
39-औषधि तथा रसायन	10.00
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	5.00
42-अन्य व्यय	10.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	50.00
योग-	**125.00**

(रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

1. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
3. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
5. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।
7. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु किया जायेगा।
8. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001040300 (भेड प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001040300 भेड प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)	02 मजदूरी	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	015	2403001040300 भेड प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)	29 अनुरक्षण	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
3	015	2403001040300 भेड प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)	39 औषधि तथा रसायन	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

4	015	2403001040300 भेड प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	015	2403001040300 भेड प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	015	2403001040300 भेड प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**1,25,00,000** **(रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)**

महायोग	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार यादव)
उप सचिव।

पृ0सं0-170/2026/1755(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(44)/2017-104808, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।
4. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>शासनादेश संख्या-170/2026/1755/सैंतीस-2-2026/001-1(44)/2017-104808, दिनाँक-31 जुलाई, 2026 का संलग्नक:-</u>

भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) वित्तीय वर्ष 2026-27

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद/संस्था का नाम	मानक मद						
		02-मजदूरी	29-अनुरक्षण	39-औषधि तथा रसायन	40-औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
2	मथुरा	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
3	मैनपुरी	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
4	बदायूँ	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
5	बरेली	0.00	0.00	0.06	0.05	0.20	0.28	0.59
6	आजमगढ़	0.00	0.00	0.06	0.05	0.20	0.28	0.59
7	मऊ	0.00	0.00	0.06	0.05	0.20	0.28	0.59
8	बलिया	0.00	0.00	0.06	0.05	0.20	0.28	0.59
9	वाराणसी	0.00	3.00	0.60	0.30	0.30	0.28	4.48
10	चन्दौली	0.00	0.00	0.50	0.30	0.25	0.28	1.33
11	परियोजना निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैंसोड़ा, नौगढ़, चन्दौली	10.00	25.00	1.25	0.60	1.30	34.10	72.25
12	जौनपुर	0.00	0.00	0.06	0.05	0.20	0.28	0.59
13	गाजीपुर	0.00	0.00	0.06	0.05	0.20	0.28	0.59
14	फर्रूखाबाद	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
15	प्रयागराज	0.00	1.00	0.88	0.40	0.50	0.28	3.06
16	फतेहपुर	0.00	0.00	0.10	0.05	0.15	0.28	0.58
17	प्रतापगढ़	0.00	0.00	0.35	0.12	0.15	0.28	0.90
18	कौशाम्बी	0.00	0.00	0.50	0.23	0.30	0.28	1.31
19	झांसी	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
20	जालौन	0.00	0.00	0.10	0.05	0.10	0.28	0.53
21	राजकीय भेड़ एवं बकरी प्रक्षेत्र, बोहदपुरा, जालौन	0.00	3.00	0.50	0.30	0.50	4.00	8.30
22	ललितपुर	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	उन्नाव	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
24	रायबरेली	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
25	हरदोई	0.00	0.50	0.06	0.05	0.15	0.28	1.04
26	लखीमपुर खीरी	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
27	अयोध्या	0.00	0.00	0.06	0.05	0.20	0.28	0.59
28	सुल्तानपुर	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
29	गोरखपुर	0.00	0.00	0.06	0.05	0.20	0.28	0.59
30	देवरिया	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
31	कुशीनगर	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
32	मुजफ्फरनगर	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
33	शामली	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
34	बांदा	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
35	चित्रकूट	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
36	हमीरपुर	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
37	महोबा	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
38	प्रा0अ0, सघन भेड़ एवं ऊन विकास, मिर्जापुर	0.00	7.00	2.36	0.50	0.80	0.70	11.36
39	मिर्जापुर	0.00	0.50	0.50	0.30	0.30	0.28	1.88
40	सोनभद्र	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
41	भदोही	0.00	0.00	0.50	0.30	0.30	0.28	1.38
42	कानपुर नगर	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
43	कन्नौज	0.00	0.00	0.06	0.05	0.15	0.28	0.54
योग-		**10.00**	**40.00**	**10.00**	**5.00**	**10.00**	**50.00**	**125.00**

(रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

(अशोक कुमार यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।